RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MH/MR/South-329/2013–15

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक १०] शुक्रवार, ऑगस्ट १, २०१४/श्रावण १०, शके १९३६ [पृष्ठ ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगरविकास विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १९ जून २०१४।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XV OF 2014.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १५, सन् २०१४।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

सन् १९६६ का महा. ३७।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

अब, इसलिए भारत के संविधान के इस अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ कहलाए।

(२) यह ४ अक्तूबर, २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा २६ की उप-धारा (३) में, तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ३७।

" परंतु यह भी कि, इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि, किसी मामले में,—

(एक) नवीनतम जनगणना के अनुसार, एक करोड़ या अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में कुल चौबीस महिने ;

(दो) नवीनतम जनगणना के अनुसार, दस लाख या अधिक किंतु एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में कुल बारह महिने ; और

(तीन) किसी अन्य मामले में कुल छह महिने से अधिक नहीं होगी। "।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३० में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (१) में, परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

परंतु, राज्य सरकार, योजना प्राधिकारी या उक्त अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा और पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी अतिरिक्त अवधि द्वारा उक्त अवधि, समय-समय पर बढ़ा सकेगी, किंतु किसी मामले में,—

(एक) नवीनतम जनगणना आँकडों के अनुसार, एक करोड़ या अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में कुल चौबीस महिने ;

(दो) नवीनतम जनगणना आँकडों के अनुसार, दस लाख या अधिक किंतु एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में कुल बारह महिने ; और

(तीन) ऐसी आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए किसी अन्य मामले में, छह महिनों से अधिक नहीं होगी।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) में,—

(क) प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

परंतु, राज्य सरकार, जैसा उचित समझे, चाहे उक्त अवधि अवसित हो या न हो **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, प्रारूप विकास योजना के मंजूरी की अवधि समय-समय से विस्तारीत कर सकेगी या उसकी मंजूरी के अनुसार अस्वीकृत कर सकेगी, ऐसी अधिकतर अवधि,—

(एक) महाराष्ट्र महानगरीय योजना समिति (गठन और कृत्य) (उपबंधों का जारी रहना) अधिनियम, १९९९ के अधीन गठित महानगरीय योजना समिति की अधिकारिता में ऐसी विकास योजना असफल होने के मामले में चौबीस महिने ;

(दो) " किसी अन्य मामले में, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए बारह महिने होगी ; ";

(ख) द्वितीय परंतुक के बाद, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु यह भी कि, यदि सरकार प्रस्तुत मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले प्रारूप विकास योजना के संबंधी उसके संपूर्ण क्षेत्र के लिए या अलग रूप से उसके किसी भाग के लिए या तो उपांतरण के बिना या ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन जैसा वह उचित समझे उसका विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित नहीं करती है तो या योजना प्राधिकारी या, यथास्थिति, उक्त अधिकारी को प्रारूप विकास योजना वापस नहीं करती है जो उसके निर्देशानुसार योजना को उपांतरित करने या मंजूरी के अनुसार इंकार करती होगी और ऐसी प्रारूप विकास योजना इस धारा के अवधि के भीतर योजना प्राधिकारी या उक्त अधिकारी को नवीन विकास योजना तैयार करने के निदेश नहीं देती है तो ऐसी प्रारूप योजना को इस धारा के अधीन अवधि समाप्त होने की तुरंत आनेवाली दिनांक को धारा ३० के अधीन सरकार को यथाप्रस्तुत मंजूर की गयी समझी जाएगी।

परंतु यह भी कि, जहाँ धारा ३० के अधीन योजना प्राधिकारी या, यथास्थिति, उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई उपांतरण, धारा २६ के अधीन प्रकाशित प्रारूप विकास योजना के संबंध में सारभूत स्वरूप का है तो ऐसा उपांतरण मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा और सरकार, सारभूत स्वरूप के ऐसे उपांतरणों के संबंध में नोटिस प्रकाशित करेगी और **राजपत्र** में नोटिस के प्रकाशन के संबंधित उपबंध होंगे और द्वितीय परंतुक में यथा अनुबद्ध सुझावों और आक्षेपों को प्राप्त करने के लिए दो स्थानीय समाचार पत्रों में देने के लिए लागू होंगे।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १४८-क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १४८-क में " किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के कारण " शब्दों के स्थान में " किसी निर्वाचन के संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी आचारसंहिता के प्रवर्तन के कारण " शब्द निविष्ट किए जाएँगे।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) की धारा २१ से ३१ विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी से संबंधित है। महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० (सन् २०११ का महा. १०) द्वारा ५ अप्रैल, २०११ को प्रवृत्त हुआ है के द्वारा विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी के लिये समय-सीमा, उसकी प्रक्रिया की शीघ्रता की दृष्टि से, पुनरीक्षित की गई है ताकि साड़े तीन वर्षों से चार वर्षों की समान अवधि के भीतर, उसे पूरा किया जा सके।

२. यह अधिनियम विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी के विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करने के लिए छोटे शहरों या मुंबई जैसे महानगरीय शहरों के लिए, चाहे ऐसी योजना विचार किये बिना समय-सीमा में एकरुपता लाने के लिए उपबंध करता है। यह देखा गया है कि बड़े शहरों के क्षेत्र का तेजी से हो रहे शहरीकरण और उससे उद्‌भूत होनेवाली जटिल समस्याओं को ध्यान में रखकर, योजना प्राधिकरण विकास योजनाओं की तैयारी में और अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर मंजूरी के लिये उसे प्रस्तुत करते समय, समय-मजबूरी का अनुभव रहा था। इस दृष्टि में और उपर्युक्त परिस्थितिओं को ध्यान में रखकर, संबंधित योजना प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि सांविधिक समय-सीमा के भीतर, बृहन्मुंबई के लिये प्रारूप विकास योजना प्रकाशित करना संभव नहीं हो सकेगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार दस लाख या अधिक जनसंख्यावाले बड़े शहरों के लिए समयबद्ध समय-सीमा बढ़ाने की मंजूरी के लिए १९६६ के उक्त अधिनियम में यथोचित उपबंधों को सम्मिलित करना आवश्यक है। संशोधित समय-सीमाओं की प्रयुक्ति संबंधी संदेह के निराकरण के लिए उपबंध सम्मिलित करना भी आवश्यक है। तद्‌नुसार, उक्त प्रभाव का संशोधन महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. ५) ४ अक्तूबर, २०१३ से कार्यान्वित हुआ था।

३. बृहन्मुंबई के पुनरीक्षित विकास योजना की तैयारी का कार्य प्रगति पर है और इस बड़े शहर में नागरी समस्याओं की जटिलता के कारण योजना प्राधिकरण ने संविधिक समय-सीमा के भीतर, प्रारूप विकास योजना प्रकाशित करने के लिए अपनी असमर्थता सूचित की है। उक्त योजना प्राधिकरण के अनुरोध और महानगरीय क्षेत्रो में नागरी योजनाओं की समस्याओं और जटिलता को ध्यान में रखकर, महाराष्ट्र महानगरीय योजना समिति (गठन और कृत्य) (उपबंधों का जारी रहना) अधिनियम, १९९९ के अधीन गठित महानगरीय योजना समिति की अधिकारिता के भीतर, सभी ऐसे योजना प्राधिकरणों और विशेष योजना प्राधिकरणों की समयबद्ध समय-सीमा के विस्तार के सृजन के लिए, सन् १९६६ के उक्त अधिनियम में यथोचित उपबंध सम्मिलित करना आवश्यक समझा गया है। उसी समय, अन्य योजना प्राधिकरणों के संबंध में सरकार द्वारा विकास योजना की मंजूरी के लिए अनुबद्ध समय-सीमा विस्तारित करना भी आवश्यक समझा गया है। तथापि, उस कारणों के लिए अनुबद्ध अवधि से किसी निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता की अवधि अपवर्जित करना आवश्यक है कि किसी योजना प्राधिकरण की ऐसी प्रारूप विकास योजना ऐसी अवधि के दौरान प्रकाशित या मंजूर दोनों नहीं होगी। चूँकि, सन् १९६६ के उक्त अधिनियम में विद्यमान उपबंध धारा ३१ के अधीन अनुबद्ध समय-सीमा के अवसान के प्रभाव के बारे में, समयबद्ध नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में विकास योजना की मंजूरी के लिए, उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित करना आवश्यक समझा गया है।

५. **क्योंकि,** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चूका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

के. शंकरनारायणन्,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

दिनांकित १७ जुलाई २०१४।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनुकुमार श्रीवास्तव,
शासन के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.